प्रेस नोट संख्या 18

दिनांक- 11.12.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction **अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 05 वर्ष का कठोर कारावास एंव 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।**

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री अनूप कुमार सिंह के निर्देशन मे एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण मे अपराधियो के विरुध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगो मे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगो मे अभियोजन अधिकारी /न्यायालय पैरोकार एवं मानीटिरिग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय सुलतानपुर मे मु0अ0सं0 94/2021 धारा 363/366/376 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना जामो जनपद अमेठी के अभियुक्त राजेन्द्र लोधी पुत्र राम जियावन निवासी पुरे डिगुर सोनारा मजरे भानमति थाना गौरीगंज जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने मे सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय एएसजे/ विशेष पॉक्सो कोर्ट सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को आज दिनांक 11.12.2024 को धारा 366 भादवि0 मे 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, एवं अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा ने दिनांक 23.03.2021 समय 20.26 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना तथा उसके साथ बलात्कार करना तथा जाति सूचक गाली देने की पर मु0अ0सं0 94/21 धारा 363/366/376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट थाना जामो पर पंजीकृत होकर विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री गुरमीत सिह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-126 दिनांक 06.06.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।